न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद

मदनपुर थाना काण्ड संख्या– 04/2022

C.I.S.–298/2022

28.02.2023 कार्यालय से अभिलेख आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे ज्ञात होता है कि प्रस्तुत कांड सूचक– निरज कुमार के द्वारा भा0द0बी0 की धारा–461,379 के अंतर्गत अभियुक्त अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है। कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत अंतिम प्रतिवेदन–सत्य सुत्रहिन समर्पित किया गया है। सूचक को नोटीश निर्गत किया जा चूका है परन्तु सूचक न तो न्यायालय में उपस्थित हुए न ही सूचक की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है। सूचक का इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है। उनकी ओर से अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल अंतिम प्रतिवेदन के विरूद्ध कोई विरोध पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल अंतिम प्रतिवेदन– सत्य सुत्रहिन समर्पित किया गया है। ऐसी परीस्थिति में मामले को अधिक समय तक लम्बित रखना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार वाद को निष्पादित किया जाता है।

कार्यालय लिपिक अभिलेख को जिला अभिलेखागार, औरंगाबाद में जमा करें।

लेखापित

मु0 न्या0 दण्डा0